रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 16, 2014/पौष 26, 1935
No. 19] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 16, 2014/PAUSHA 26, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 26(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दर का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दर का निर्धारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दर का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) में—

(क) नियम 4 में, उप-नियम (10) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात,—

"स्वतंत्र संरचना (स्टैंड एलोन) तथा ऐसी संरचना जो संरेखीय राजमार्ग/एक्सप्रेसवे का भाग है, के उपयोग के लिए फीस की दर की गणना, संरचना की लंबाई को 10 के घटक से गुणा करके राजमार्ग/एक्सप्रेसवे की समान लंबाई में परिवर्तित करके की जाएगी ।

परंतु यह कि संरेखीय राजमार्ग/एक्सप्रेसवे पर 60 अथवा कम मीटर की लंबाई की संरचना को फीस की गणना करने के लिए राजमार्ग/एक्सप्रेसवे की सामान्य लंबाई के भाग के रूप में माना जाएगा ।"

[फा. सं. एच-25016/2/2011-पी एंड पी (टोल)(खंड III)]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दर का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 भारत के राजपत्र में, भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में 5 दिसम्बर, 2008 में सं. सा.का.नि. 838(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सं. सा.का.नि. 950(अ) 3 दिसम्बर, 2010, सं. सा.का.नि. 15(अ) 12 जनवरी, 2011, सं. सा.का.नि. 756(अ), 12 अक्तूबर, 2011 और सं. सा.का.नि. 778(अ) 16 दिसम्बर, 2013 के द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2014

G.S.R. 26(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the principal rules),—

(a) in rule 4, sub-rule (10) shall be substituted, namely;

"The rate of fee for use of standalone structure as well as structure forming part of a liner highway/expressway, shall be calculated by converting the length of the structure into an equivalent length of highway/expressway by multiplying by a factor of ten.

Provided that structure of 60 meters of length or less, on a linear highway/expressway will be considered as part of the normal length of highways/expressways for calculation of fee.".

[F. No. H-25016/2/2011-P&P (Toll) (Vol. III)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Note :—The National Highways Fee (Determination of Rates and Collections) Rules, 2008 were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* No. G.S.R 838(E), dated the 5th December, 2008 and amended *vide* No. G.S.R. 950(E), dated 3rd December, 2010, G.S.R. 15(E), dated 12th January, 2011, No. G.S.R. 756(E), dated 12th October, 2011 and No. G.S.R . 778(E), dated 16th December, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.